सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 13, मंगलवार, *शाके* 1945-जुलाई 04, 2023 *Asadha 13, Tuesday , Saka 1945- July 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 22, 2023

संख्या 2(10)वन/2019 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप-धारा (1) के स्वरूप अभीतक किसी अर्न्तगत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभीतक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबन्ध में जाँच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इनकार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आंशका है।

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/ असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जाँच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1) 12, 13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं. राज पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की

वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के ये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि) द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

शिखर अग्रवाल,
अति. मुख्य सचिव,
शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

क. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण		
					ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर
1	सांगवा खोरड़िया पार्ट- डी	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उत्तर- ग्राम सांगवा की राजस्व भूमि पूर्व - वनखण्ड सांगवा खोरड़िया दक्षिण - वनखण्ड सांगवा खोरडिया पार्ट-ए पश्चिम - म.प्र. सीमा ग्राम आनन्दपुरा	सांगवा	222/163	16.21
					योग	1	16.21

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़।

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

पेड़ो की सूची

क.सं.	बोटोनिकल नाम	हिन्दी नाम
1.	Anogeissus pendula	धोकड़ा धौ, कलवी, धोक
2.	Anogeissus latifolia	धावड़ा, सफेद धो, गोर,धोक
3.	Acacia catechu	खैर
4.	Boswellia serrata	सालई,सालर
5.	Balanites roxburglii	हींगोट
6.	Butea frondosa	पलास,खाखरा, छोला
7.	Diopyros melanoxylon	तेंन्दू - टेमरू

उप वन संरक्षक

चित्तौड़गढ़।

प्रपत्र 'ब'

वनखण्ड सांगवा खोरड़िया पार्ट-डी

वन संरक्षकों द्वारा भेजे गये प्रारम्भिक विज्ञप्तियों के प्रस्तावों के संबंध में चाही गई अतिरिक्त सूचना

1	वनखण्ड में वनस्पति का घनत्व क्या है	वनस्पति का घनत्व लगभग 0.2-0.4
2	क्या प्रस्तावित वनखण्ड में सिंचाई, स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अथवा विद्युत से संबंधित कोई योजना प्रस्तावित है	उक्त वनखण्ड के अन्दर कोई प्रोजेक्ट प्रस्तावित नहीं है।
3	क्या प्रस्तावित वनखण्ड में कोई आबादी स्थित है	उक्त वनखण्ड के अन्दर कोई आबादी स्थित नहीं है।
4	प्रस्तावित वनखण्ड में कोई खनन प्रस्ताव अथवा भविष्य में कोई महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होने की संभवना है	उक्त वनखण्ड में खनन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है और ना ही कोई खनिज उपलब्ध है।
5	क्या कोई जनहित से संबंधित परियोजनों के वनखण्ड में आने की संभावना है	उक्त वनखण्ड में जनहित से संबंधित कोई अन्य प्रोजेक्ट बनने की कोई संभावना नहीं है।

उप वन संरक्षक

चित्तौड़गढ़।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।